न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सामोद)
मु.न. 87/2016

उनवान

1. नेमीचन्द पुत्र श्री कालूराम, जाति माली, निवासी ग्राम गोविन्द देव जी का रडा, ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. सेडूराम पुत्र कालूराम, जाति माली, निवासी ग्राम गोविन्द देव जी का रडा, तन ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 25.05.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत सामोद मे पेश हुई। प्रार्थी ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके ग्राम सामोद तहसील चौमूं पटवार हल्का सामोद, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 522 के हाल खसरा नम्बर 1171 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1172 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1175 रकबा 1.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1197 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1200 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1201 रकबा 0.23 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल रकबा 2.64 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा निहित हैं। उक्त भूमि ही वाद पत्र में विवादग्रस्त भूमि हैं, जिसको वाद पत्र की अग्रिम मदों में भूमि विवादग्रस्त से सम्बोधित किया गया हैं।

भूमि विवादग्रस्त में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई लेना देना सम्बन्ध, सरोकार नहीं हैं, वह मात्र विवादग्रस्त भूमि के पूर्व दिशा का पडौसी खातेदार काश्तकार हैं तथा पडौसी काश्तकार होने का नाजायज फायदा उठा कर वादी की भूमि को हडपना चाहते है तथा आये दिन वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करता रहता है तथा विवादित भूमि की डोल में तोड फोड करने पर आमदा रहते हैं।

वादी ने मौके पर अपनी आराजीयात में फसल काश्त कर रखी हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आये दिन डोल को तोड कर विवादित भूमि में अपने जानवरों को घुसा कर वादी की काश्त की हुई फसल को नष्ट भ्रष्ट करवा देता हैं, तथा मना करने पर लडाई झगडा करता हैं।

दिनांक 09.05.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 वादी की भूमि विवादग्रस्त के दक्षिणी दिशा की ओर सीमा पर ट्रेक्टर से खड्डा लगा तथा जब वादी द्वारा मना किया गया तो वादी को गाली–गलौच की तथा वादी को धमकी दी कि वह भूमि की डोल को तोडकर भूमि पर जबरिया कब्जा कर भूमि पर अतिकमण कर बोरिंग का लट्ठ के बल पर निर्माण कार्य करके रहेगा, इसलिये वादी को यह वाद पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया हैं।

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का मय हर्जा व खर्चा के डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के इस कदर

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी की भूमि की डोल में तोड फोड करें, ना ही वादी की भूमि की डोल में तोड फोड करें, ना ही वादी की भूमि में जबरिया प्रवेश करें, ना ही कब्जा करने की कोशिश करें, ना ही भूमि की सींवडोल में तोड फोड कर भूमि में खड्डे, नींव आदि खोदे, ना ही भूमि विवादग्रस्त के उपयोग उपभोग में वादी को दखलन्दाजी पैदा करें, ना ही कोई बोरिंग का निर्माण कार्य करवाये, तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 2 भूमि विवादग्रस्त बाबत किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं होने देना सुनिश्चित करें। उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन, परिवारजन आदि के जरिये करवायें।

वादी के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। उभयपक्षकारान उपस्थित। वादी को सुना गया। वादी आराजी का खातेदार काश्तकार है। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खाता संख्या 522 के हाल खसरा नम्बर 1171 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1172 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1175 रकबा 1.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1197 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1200 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1201 रकबा 0.23 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल रकबा 2.64 हैक्टेयर वाके ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का दोनो पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार चौमूं को निर्देश दिये जाते हैं साथ ही वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर कायम रहने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत पैदा नही करें एवम उक्त भूमि की पश्चिम दिशा की सीमाओं पर कब्जा कर निर्माण कार्य नही करे, भूमि की किस्म को परिवर्तित ना करे एवम मौके की यथा स्थिति बनाये रखे, ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें। प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जावें कि वह मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनवाये। उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें। पर्चा डिक्री जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट सामोद में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट सामोद)

पीठासीन अधिकारी :– प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S)

मुकदमा नम्बर :– **87/2016**

उनवान

1. नेमीचन्द पुत्र श्री कालूराम, जाति माली, निवासी ग्राम गोविन्द देव जी का रडा, ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. सेडूराम पुत्र कालूराम, जाति माली, निवासी ग्राम गोविन्द देव जी का रडा, तन ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है की वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खाता संख्या 522 के हाल खसरा नम्बर 1171 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1172 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1175 रकबा 1.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1197 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1200 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1201 रकबा 0.23 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल रकबा 2.64 हैक्टेयर वाके ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का दोनो पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार चौमूं को निर्देश दिये जाते हैं साथ ही वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर कायम रहने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत पैदा नही करें एवम उक्त भूमि की पश्चिम दिशा की सीमाओं पर कब्जा कर निर्माण कार्य नही करे, भूमि की किस्म को परिवर्तित ना करे एवम मौके की यथा स्थिति बनाये रखे, ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें। प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जावें कि वह मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनवाये। उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सामोद मे आज तारीख 25.05.2018 को जारी किया गया।

मोहर

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner